[Shri Bhupesh Gupta]

303

There are moves to clinch the purchase of Jaugar aircraft at a cost of Rs. 15 crores. Five per cent commis-' sion is supposed to be paid to somebody. Some foreigners are also coming, others are going to step up this deal. This figured in the other House also. Your funds will be involved in it. As you know, in the case of Boeing deal also, some under the table commission was passed to some people. Here also, some commission is likely to be passed to some people under the table. Therefore, Mr. Agarwal, do not ask me to provide the intelligence. Kindly do something about it. . .

(Interruptions)

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE U. K. LAKSHMANA GOWDA): The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

### STATEMENT BY MINISTER

#### Reconstitution of minorities commis-sion

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AF-(SHRI DHANIK MANDAL): Sir, consequent on the resignation of SHRI M. R. Masani as Chairman, Minorities Commission, Government have decided to reconstitute the Minorities Commission with Shri Justice M. R. A. Ansari as Chairman and Prof. V. V. John, Dr. Miss Aloo J- Dastur, Shri Kushak Bakula and Air Chief Marshal Arjan Singh (retired) as Members.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ORISING OUT OF THE **ANSWER GIVEN ON THE 18TH JULY, 1978 TO STARRED QUES-**TION 57 RE COOPERATIVE MOVE-MENT IN THE COUNTRY.

BHUPESH GUPTA Bengal); Sir, my s uggestion is that you take up the last item, viz., Halfan-Hour Discussion. We are given to

understand that the Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill, 1978, will be taken up now. I would like it to be repealed now itself. I am not at all for postponing it that way. This is quite a horrible Act. The sooner it goes, the better. If it goes now itself, the better. But it does not matter very much if we kill it tomorrow. Let us all do the killing it together. Many are not here. So, I would ask you to postpone it for tomorrow

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS RAM KRIPAL SINHA): Sir. Bhupesh Gupta has been very anxious about this MISA Repeal Bill being brought in this House. Now it has been brought and he thinks that it would be better to postpone it till tomorrow. The Government does not have any objection.

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, the list of business was for two days, i,e. for the 26th and the 27th. Even the Customs Tariff (Amendment) Bill was scheduled for the 27th. It has been taken up today. It should not be done. It should have been taken up on the 27th so that the Members could do full justice to it. Similarly, the Maintenance of Internal Security (Repeal) Bill is meant for tomorrow. Even the Business Ad-Committee decided that it visorv should be discussed "on the 27th. Therefore, I would say that the Bills listed for 27th should not be taken up today.

THE VTCE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): So, we go to Half-an-Hour Discussion. Shri Nathi Singh.

श्री नत्यी सिंह (राजस्थान): उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैंने 18 जलाई को एक सवाल यह पूछा था कि देश में जो सहकारी संस्थाएं हैं उनमें बहुत श्रधिक सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है ग्रौर करीब करीब 13 प्रदेशों में सहकारी संस्थाएं भंग कर दी

गई हैं, सुपरसीड हो गई हैं तो हमारी सरकार इस संबंध में क्या निर्देश राज्य सरकारों को दे रही है ताकि उनकी स्वायतता को बनाए रखा जाए और उनका लोकतान्त्रिक स्वरूप नष्ट न होने दिया जाए ग्रीर इस संबंध में राज्य सरकारों ने इन पर क्या कार्यवाही की है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री जी ने एक विवरण सभा पटल पर रखा था जिसमें उन्होंने कहा कि 17 दिसम्बर, 1977 को जो सहकारिता मंत्रियों वा सम्मेलन हमा था उसमें उन्होंने तय किया है कि एक राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाइये जिससे सहकारी श्रान्दोलन एक स्वायत एवं श्रात्म-निर्मर आन्दोलन के रूप में चलाया जाएगा जो अनुचित बाह्य हस्तक्षेप तथा अत्यधिक सरकारी नियंवण वे राजनीति से भी मुक्त होगा। उसके बाद में आपने यह भी कहा है कि इसके 12 सुत्रों को पूरे तौर से कार्यान्वित करने के लिए एक 42 प्वाइंट प्रोग्राम बनाया गया है ग्रीर सहकारिता मंत्री जी ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है 3 अप्रैल, 1978 को कि इन निर्देशों को लाग किया जाए। मैं ब्राज जो विवाद उठा रहा हं उसके पीछे कुछ कारण हैं।

यह जो सवाल है सहकारिता में सरकारी हस्तक्षे स्थीर अगर मैं यह कहं कि यह सहकारिता से धीरे-धीरे 'ह' हटता चला जा रहा है और उसके स्थान पर 'र' अर्थात सरकारिता थ्रा गयी है, यह सरकारी मुवमेंट होता चला जा रहा है। इसके संबंध में कई वर्ष से, इस सरकार से नहीं बल्कि पिछली सरकार से भी इस विषय में मांग करते रहे हैं कि इस स्थित को बदला जाय और उपसभाध्यक्ष महोदय में भ्रापके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हं सदन में कि पिछले सहकारिता मंत्री जी ने भी एक पत्न समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था ग्रीर उसमें उन्होंने लिखा था, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने, कि सहकारी कांग्रेस में यह कहा है कि यह सहकारिता का लोक-तीविक या स्वायत्तशाषी स्वरूप बदस्तर रखा जाय। इसलिए कुछ सुझाव उन्होंने रखे थे कि यह काम किया जाय, रजिस्ट्रार की पावर्स को कम किया जाय लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्हीं सहकारिता मंत्री ने हमें बताया कि जो जवाब मख्य मंत्रियों के पास से आया है मेरे पास उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मुख्य मंत्री ने चिटिठियों को पड़ने की जरूरत नहीं समझी, रजिस्ट्रार सहकारिता समितियों ने जो डाफ्ट बनाकर उनके पास रख दिया उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके चिट्ठी भेज दे है। उसका नतीजा यह हम्रा उपसभाध्यक्ष महोदय, कि जहां 1974-75 में हिन्द्स्तान में 3618 सहकारी समितियों की प्रबंध समितियों को भंग करके सरकारी अधिकारी प्रशासक के रूप में बिठा दिए गए थे वहां दूसरे साल 1975-76 में यह तादाद लगभग दोगुनी हो गयी ग्रीर 6327 सहकारी समितियों की प्रबंध समितियां भंग करके वहां सरकारी ग्रधि-कारियों का नियंत्रण कायम कर दिया गया श्रौर ग्राज स्थिति क्या है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हं कि ग्राज स्थिति यह है कि एक जगह नहीं बल्कि सारे राज्यों में एक तरफ से चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो. चाहे ए० डी० एम० के० की सरकार हो चाहे वहां जनता पार्टी की सरकार हो जो मंत्री सहकारिता विभाग पाते हैं वही कोशिश यह करते हैं कि चुने हुए तंत्र को समाप्त करो और वहां पर अधिकारियों को बिठायो ग्रीर उसके जिरए से कैसे नियंत्रण कायम करो । यह पद्धति, यह नीति सारे देश में चल रही है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हं कि ग्रांघ प्रदेश में 26 डिस्टिक्ट सेंट्रल बैंक भंग किए गए, 6 स्टेट कोग्रापरेटिव इंस्टीट्यशन सब भंग किए गए. वहां उन्होंने एक ग्रजीब प्रथा चलायी कि परसनल इंचार्ज बनायेंगे चाहे किसी पानी-टिशयन को बना दिया, इसी तरह से तमिल-नाड़ में हैं, इसी तरह से मध्य प्रदेश में है, वहां का तो सारा किस्सा सदन में था चुका है कि वहां सारी समितियां भंग की जा चुकी हैं

[श्री नत्यी सिंह]

नीचे से लेकर, प्राईमरी से लेकर ऊपर तक। नामीनेशन की कोशिश की गयी जब यहां से इन्टरफेयरेंस किया हमारी सरकार ने तब जाकर स्थिति बदली, नामीनेशन बचे। यही हालत यु० पी० में है यही हालत महाराष्ट्र में है जिसको बड़ा ग्रच्छा प्रदेश कहा जाता है. इस नाते से कि यह कोग्रापरेटिव में बड़ा उन्नत है, वही हालत उड़ीसा में, वही हालत बिहार में ग्रौर वही हालत राजस्थान में है जहां से मैं भी ब्राता हं ब्रौर संयोग से मंत्री जी भी आते हैं। वहां स्थिति क्या है? शीर्ष संस्था में व 25 समस्त कोग्रापरेटिव बैंक, सबको भंग कर दिया पुरानी सरकार ने भंग करके चेयर-मैनों को प्रशासक कर दिया ग्रीर उन के नीचे कमेटियां बनी, इसी तरह से 35 भमि वि-विकास बैंक इन सभी को भंग कर दिया गया। उन्होने वही कमेटियां बनायी परना जब नयी सरकार ब्रायी तो उन्होंने उन कमेटियों को विठाकर वहां पर सरकारी अधिकारी लगा दिए थे। 18 तारीख को मेरा यह सवाल था. उपसभाभ्यक्ष महोदय 18 तारीख को राजस्य न में एक ब देश बार उधा कि 132 कष विकय सहकारी समितियों भंग किया जाकर वहां पर एस० डी० स्रो० को उनका प्रशासक नियक्त किया गया, एक एस० डी० ग्रो० के क्षेत्र में 3-3, 4-4 कमेटि-यां आती हैं, वह प्रशासक रहेंगे यह स्थिति कर दी गयी है। सारे देश में सहकारी आंदी-लन को पंग बनाया जाकर वहां पर सरकारी लोगों को बैठाया जा रहा है और हम कहते हैं कि हम सता का लोकतांजिक विकेन्द्रिकरण करना चाहते हैं और इसके विकेन्द्रीकरण की यह हालत है कि प्रदेश में ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to be brief. Otherwise, where is the time for the Minister to reply?

श्री नत्थी सिंह : बहुत जल्दी में कर रहा हूं। राजस्थान में श्रव तक सहकारिता के कुल 12 मंत्री हुए हैं 2 मंत्रियों को छोड़कर सहकारिता के बारे में इन सरकारों के दो मंत्रियों को छोड़कर हर एक ने यह स्थिति पैदा की है हमारे प्रदेश में। वह दो थे जब नेहरू ने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का दिया नागौर में जलाया था सन् 57-58 में वह तो कभी का बुझ बुझा गया, वह दिया श्रव कहीं नहीं है। मैं कह रहा हूं, आज क्या हो रहा है राजस्थान में, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए मैं चाहता हूं कि वह कुछ इस संबंध में बतायें कि क्या है। वहां पर एक प्रस्ताव है, सारे देश में है कि भूमि विकास बैंकों को श्रौर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को एक कर दिया जाय...

6 P.M.

अब सारी ही संस्थाएं भंग हैं, सैन्ट्रज बैंक भंग हैं, पी० एल० डी० भी भंग हैं। उस वक्त हजारी कमेटी बैठी थी। राज्य सरकार में भ्रौर पूरे हिन्दस्तान में इस बात पर चर्चा हुई । राज्य सरकारों ने तथा लोगों ने सहकारी ग्रान्दोलन को खत्म करने का विरोध किया और यह तय हम्रा कि दोनों संस्थाएं अलग-अलग रहेंगी । लेकिन अब प्रस्ताव हो रहा है कि सभी संस्थाओं को मिला कर एक कर दिया जाए । यही नहीं, राजस्थान में यह भी प्रस्ताव हो रहा है ग्रीर मझे बताया गया है कि आईनेन्स का मसौदा तैयार हो गया है कि पहले तो भूमि विकास भीर सहकारी बैंकों को एक करो, मर्ज कर दो और उसके बाद इन सब को अवालिश करके सिर्फ स्टेट कोग्रापरेटिव बैंक की शाखाएं कायम कर दो।

राजस्थान में इस तरह जो हम कहते हैं कि ग्रामों का ग्राधिक विकास का स्रोत है कोग्रापरेटिव, वह सारे का सारा नष्ट कर दिया है। यह बात क्यों हो रही है? इसलिये कि वहां पर सब ग्रफसर श्रच्छी तरह से जानते हैं कि यह श्रच्छा मौका है। ग्रगर चुनाव करा दिये गये ग्रीर चुने हुए लोग संस्था में ग्रा गये तो फिर हमारी योजना पूरी नहीं होगी। इसलिये जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक बैठे हैं इसको करा लो । यह कितनी गलत बात है।

में आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से कहना चाहता हं कि सब जगह पर चनाव कराये जाने चाहियें। यदि इसके स्ट्क्चर में कोई चेन्ज भी करना चाहें, तो चुने हए सहकारिता के कार्यकर्ताओं को अपनी राय देने का मौका मिलना चाहिये । उनकी राय के मुताबिक ही कार्यवाही की जानी चाहिये। यह नहीं कि जो सरकारी लोग कर दें तो फिर बोल ही नहीं सकते। उनका रजिस्टार जो बहा, बिच्च महेश इतनी पावर दे रखी है कि वह चाहे जिसको हटा दें, जिस प्रस्ताव को रह कर दें, वह पावर हटाई जानी चाहिये । यह बात जरूरी है और इसके बिना इस देश में सहकारी आन्दोलन को जो हम चाहते हैं प्रगति करे और निश्चित हप से जो विकास में ग्राम समाज की कल्पना करते हैं, दो ही संस्वाएं हैं-एक पंचायत भीर दूसरी सहकारिता। सहकारिता को इस तरह से नष्ट किया जाए ग्रौर पंचायत की भी यही हालत है सारे देश में ।

इसिनये में ग्रापके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक विपरीत दिशा में मामला जा रहा है और जो जनता पार्टी बचनबढ़ है कि हम सत्ता का लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण करेंगे, बहां सारी बातें उलट हो रही हैं । 42 सूनी कार्यक्रम जो तय किया गया है, इसके बारे में दो-तीन मुझाव मैं देना चाहता हूं।

श्रवसर कहते हैं कि कोशापरेटिव में गड़बड़ होती है, बेईमानी होती है। उसमें इस तरह से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। एक कलम से सबको भंग कर दें इसलिये नहीं कि बेईमानी है, बल्कि इसलिये कि हम को सिस्टम को बदलेंगे। इसके लिये पावर रिजस्ट्रार को नहीं होनी चाहिये, इण्डिपैन्डैन्ट बाडी होनी चाहिये साकि जहां गड़बंड़ हैं कि नहीं उसे देख सकें। चुनाव कराने का भी ठेका सरकार दे ले रखा है और फिर चुनाव ना कराने के बहाने उन्हें भंग करते हैं। अलग चुनाव की एजेन्सी होनी चाहिये। यह मामला इलैक्शन कमिशन को दे दिया जाए जो राज्यों में चुनाव कराये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार जो रोजमर्रा काम करते हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जहां सरकारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वहां फाट्याचार, बेईमानी, और मनमानी ज्यादा बढ़ती है, संस्था का नाश हो जाता है। इसिलये सारे का सारा ढांचा बदलना चाहिये। आज गुजरात में डेयरी की संस्था क्यों चल रही है क्योंकि एक व्यक्ति विशेष ने अपना सारा जीवन लगा दिया इसिलये वह तरक्की कर रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please wind up; you have also two hear his answer.

श्री नत्थी सिंह : मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज की सारी स्थिति को बदलें और बदल कर वह स्थिति पैदा करें जिससे कि सहकारिता संस्था सही रूप से विकसित हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Yes, Minister.

SHRI SAWAISINGH SISODIA (Madhya Pradesh): Sir, I have also to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will speak afterwards.

SHRI SAWAISINGH SISODIA Sir,, I could also speak and then the Minister could reply.

THE VICE-CHAIRMAN (SHW U. K. LAKSHMANA GOWDA): The Minister can reply now. The\*

{Shri U. K. Lakshmana Gowda]

you will speak and all the others will speak and later the Minister will reply.

SHRI K. K. MADHAVAN: Sir, I rise on a point of order.

VICE-CHAIRMAN (SHRI K LAKSHMANA GOWDA): Yes, Minister.

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रीर सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सहकारिता क्षेत्र....

SAWAISINGH SISODIA Sir, it would have been more convenient if I had been allowed to speak on the subject,, and then the Minister would have replied.

VICE-CHAIRMAN (SHRI THE U. K. GOWDA): LAKSHMANA All right.

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मान्यवर, मेरे नित्र श्री नत्यी सिंह ने जो बातें कहीं हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं ग्रौर उनका अनुमोदन करते हए कहना चाहता हूं कि यह विषय इतना गम्भीर है कि इसके बारे में और बहुत से तथ्य सदन के सामने और शासन के सामने लाया जाना बहत जरूरी है। सहकारिता म्रान्दोलन की उपयोगिता भीर भावश्यकता को न सिर्फ हमारे राष्ट्र दुनिया के तमाम राष्ट्रों में चाहे वे विकसित हों या अविकसित हों, उन्होंने इस बात की मांग की है कि देश के ग्राधिक उत्यान भीर विकास के लिए पंचायत ग्रौर सहकारिता ग्रान्दोलन बहुत ही जरूरी और भावश्यक है। इसीलिए हमारी पंचवर्षीय योजनाम्रों में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो आज का वर्तमान शासन है उसको भी इस सहकारी आन्दोलन में पूरा विश्वास ग्रौर श्रास्था है ग्रौर मुझे इ स बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे को बोयल साहब हैं या धारिया साहब हैं

उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की ग्रीर ग्रपने कथनों में समय समय पर इस बात का ऐलान किया है कि वे सह-कारिता ग्रन्दोलन के प्रजातांतिक स्वरूप को कायम रखेंगे और उसमें जो अकसरशाही का प्रवेश हो रहा है उसको रोकेंगे। लेकिन उनके कहने के बाद भी आज जो स्थिति है वह बद से बदतर हो रही है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से आक्षित करना चाहता हं कि यह जो ग्रापकी नीति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट है इसमें भी आपने जोर दिया है कि :

"This is a people's participation ir. the co-operative movement to a much larger extent than at present."

# इसी प्रकार इसके पुष्ठ 48 पर भी कहा है:

"The co-operative all be built up as an autonomou\* If-reliant movement free from undue outside interference and excessive control as also from politics "

लेकिन आप यह देखेंगे कि धीरे घीरे देश के तमाम प्रान्तों में, जैसा कि अभी नत्थी सिंह जी ने कहा, कम से कम 10-12 ऐसे प्रान्त हैं जहां कि एक आडिनेन्स ला कर ग्रामीण स्तर की सहकारिता से लेकर प्रान्तीय स्तर की सह-कारी समितियों तक को भंग कर दिया-विद वन स्ट्रोक आफ पेंन--पूरे प्रजातन्त्र का स्वरूप, जो लोगों को भ्रपना काम खुद करने का अधिकार है जो चुने हुए लोग थे, जो उन सहकारी समितियों का संचालन कर रहे थे, जो पदाधिकारी थे, सदस्य थे, उन सब को हटा दिया गया है। आज परिस्थिति यह है श्रीमन, मध्य प्रदेश में केवल एक श्राहिनेन्स द्वारा 7000 सहकारीं समितियों को समाप्त कर दिया गया । वहां 70,000 नामिनेशन करने के लिए शासन ने कदम उठाया था जिसके लिए यहां हमने भावाज बुलन्द की

Discussion

और केन्द्रीय भासन ने भी उन लोगों को राय दो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अप्रजातांत्रिक है, बहुत घातक है, और उन्होंने वायदा किया था कि हम साल भर में चनाव कराएंगे। आज १ महीने हो गए लेकिन चुनाव की कोई प्रक्रिया गरू नहीं हुई है। उन सब की नीयत यह है कि सहकारी आन्दोलन में अपने लोगों को बैठाया जाए, अधिकारियों को बैठाया जाए और उसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को खत्म कर दिया जाए, चने हए लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहंगा: उन तमाम प्रान्तों में जहां इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसको रोकिए। आपका जो ख्याल है कि सहकारिता मंत्रालय राज्य का विषय है मैं इससे सहमत नहीं हं। माननीय मंत्री जी. मैं इस बात को श्रापसे कहंगा कि इस वात पर पूर्निचार की जिए। यह जो विषय है यह केवल किसी राज्य का विषय नहीं है, यह आपकी धारणा गलत है।

## ;Mr. Deputy Chairman in the chair]

मैं आपका ध्यान कांस्टीटयशन का जो सेवेन्य शेडयल है उसकी और आकृष्ट कराना चाहता हं—यह जो लिस्ट है इसमें राज्य के विषयों की सूची दी गई है। इसमें उन्होंने यह बतलाया है केवल कुछ सीमित कार्यों के लिए इस विधय को राज्य की सची में रखा जाएगा---

"Incorporation. regulation winding up of the co-operative societies . \*

इनकारपोरेशन के मृताविक रजिस्ट्रेशन का जो श्रविकार उनको दिया गया है, रेगलेशन के संबंध में समय-समय पर कोई विधान या नियम बना सकते हैं और वाइंडिंग अप आफ दी कोग्रापरेटिव सोसाइटीज-इन 3 वातों के अलावा बाकी सब कामों के लिए केन्द्रीय मासन को पुरा अधिकार है और केवल इन सीमित कार्यों के वारे में आप ला मिनिस्टी से एग्जामित कराएं और उनके बारे में समय समय पर हाईकोटं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हए हैं जिसमें इस बात को घोषित किया है कि केवल इन 3 सीमित कायों के लिए सहकारी समितियों में राज्य का हस्तक्षेप हो सकता है। इन तीन बातों को छोड़ कर बाकी काम के लिये आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। रिजवं बैंक का बैंकिंग रेगलेशन ऐक्ट है। श्राप देखिये कि उसके श्रन्तगंत जितनी बैंकिंग सोसाइटीज हैं जो बैंकिंग का बिजनेस करती हैं उनका रेगलेशन होता है। वह संसद ने पास किया है। वह केन्द्र का विषय है। अगर आप इन महीं की तरफ ध्यान नहीं देंगे और यह कहते रहेंगे कि यह तो राज्य का विषय है, हम इसमें हस्ताक्षेप नहीं कर सकते तो ऐसा करके आप अपने ही अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने श्रधिक रों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ग्राप कह रहे हैं कि हमने दे दी है ग्रीर उस काम में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । उसका एक प्रजात विक स्वरूप होना चाहिए ग्रीर लोगों को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन सहकारिता ग्रान्दोलन का जो महन्व है उसको देखते हए यह कह देने से ही काम नहीं चलेगा कि यह उनका विषय है। वह ही इसको देखेंगे। यह कहना ठीक नहीं होगा। ग्राज सहकारिता श्रान्दोलन वहां सरकारी विभाग की तरह से काम कर रहा है। आप एक बार इस बात का निर्णय कर लीजिए कि सहकारी आन्दोलन को अब आप सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक सहकारी विभाग के रूप में चलवायेंगे तो ठीक है। लेकिन ग्रापकी यह नीति निर्वारित हो जानी चाहिए। उसके वाद हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी और न उससे किसी को नाराजगी होगी। लेकिन एक तरक तो ग्राप कहते हैं कि उसका प्रजातांतिक स्वरूप कायम रहेगा ग्रीर लोगों को श्राप उसमें काम करने का मौका देंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम

316

# [श्री सवाई सिंह सिसोदिया]

उसको डिमेंटलाइज करना चाहते हैं ग्रीर अधिक से अधिक चने हुए लोगों को काम करने का अवसर देना चाहते हैं। इन तीनों चीजों के विपरीत अगर कार्य होता है तो सहकारिता श्रान्दोलन को उससे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। सारी दुनिया के राष्ट्रों में इस बात की चर्चा होती है कि वह हिन्द्स्तान में सहकारिता भादोलन बहुत भ्रा गे बढ़ा हुआ है, लेकिन यहां इतना हस्तक्षेप होता हैं। लोगों के मन में सहकारिता म्रान्दोलन के लिये बहुत श्रास्था ग्रौर विश्वाश है, लेकिन उसके साथ ही यह देख कर दुख होता है कि सरकार का हस्तक्षेप उस में दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने मिल कर श्राप को इस बात की जानकारी दी है। श्रीर इसलिए अन्त में मैं तीन, चार बातें जानकारी के लिये श्रापके सामने रखना चाहता हं। स्राशा है कि स्राप उन पर पूरी तरह से विचार करके अमल करेंगे। यदि आप ऐसा करें तो ग्राप इस तरह से दखल को रोक सकते ぎし

पहली बात तो यह है कि हमारे केन्द्रीय शासन के अन्तर्गत जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यमन्स हैं उनके द्वारा ही इस कोग्राप-रेटिव मवमेंट में लगने वाली धनराशि को श्राज दिया जा रहा है श्रीर वह श्राधिक सहायता इस प्रकार गांव के वीकर सेक्शन्स ग्रीर किसानों तक पहुंचाई जाती है। आप का उन पर पुरा कंट्रोल है। बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत भी ब्राप उसको नियंत्रित कर सकते हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यू शन्स हैं, नेशनल कोग्रापरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन हैं या दूसरी संस्थायें हैं उन सब में हमारे केन्द्र का रूपया लगा हुआ है और केन्द्र की धन राशि ही सहकारी समितियों को दी जाती है उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिये, उनके कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए। वह अधिकार ग्राप का

है । अगर कोई प्रांतीय शासन श्रापके डाइरेक्शन को न माने तो आपको यह कठिन कदम उठाना होगा ग्रौर उनको ग्राप उस सहायता से वंचित कीजिए। यदि श्राप ऐसा नहीं करते हैं तो काम नही चलेगा । ग्राप उनको कहिये कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भ्रापको यह सहायता, यह धनराशि नहीं दी जायेगी। जब तक ग्राप यह सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक भ्राप उनको नियंत्रित नहीं कर सकते । दूसरी बात. जो कांस्टीट्युशनल ग्रधिकार उस संबंधित है। सहकारिता ग्रान्दोलन को ग्रौर सहकारिता संबंधी विषयों को श्राप प्राविशियल सब्जेक्ट समझ बैठे हैं । इस धारणा को ग्राप मेहरबानी कर के हटायें। यह एक सीमित काम करने के लिए प्राविशियल लिस्ट में रखा गया है, बाकी इन तीनों चीजों को छोड़ कर:--कोग्रापरेशन, रेगुलेशन श्रौर लिक्वीडेशन को छोड़ कर बाकी सब काम केन्द्र के अन्तर्गत आहे हैं और उन सब कामों में ब्राप हस्तक्षेप कर सकते हैं। ब्राप उनके इन सब कामों में रुकावट पैदा कर सकते हैं यदि वे ठीक से न रहे हों ग्रीर जिन प्रान्तों में ग्राहिनेन्स लगा जहां की विधान सभाग्रों ने एक्ट पास करके तमाम सहकारी आन्दोलन को सीमित किया है, उन संस्थाओं को खत्म किया है उनके बारे में एक गम्भीर बात सुझाव के रूप में मैं रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का उदाहरण है । यहां राजनीतिक दिष्ट से मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हर एक नया शासन जो आता है उसकी एक नयी राजनीतिक दृष्टि होती है और मैं पिछले कांग्रेसी शासन का रखना चाहता हूं । उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया ग्रीर उस संबंध में हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के सामने एक मेमोरेंडम रखा और कहा कि यह केन्द्र का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और इस आधार

पर ग्रसेम्बली ने जो एक्ट पास किया था उस पर प्रेसीडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी। तो श्रार्डिनेंस लाने के पहले यह जरूरी है कि यदि कोई ऐसा विषय है तो उसमें केन्द्र की सहमति ले ली जाया करे । राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होनी चाहिए । लेकिन भ्राज राज्य सरकारें केन्द्र की पूर्व अन्मति के बिना ही आडिनेन्स इश्य कर रही हैं। इसके लिये भी श्राप उनको रोकिये। हमारा माध्यम तो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति जी के सामने यह सवाल जाना चाहिए कि ऐसे म्राहिनेन्स जिनका संबंध कोग्रापरेटिव से हो, ग्रगर उनमें पूर्व भन्मति उनकी नहीं है तो उनको स्वीकृति न दी जाये। उनको समाप्त करने का भी कांस्टीट्यूशन में श्रधिकार है। उसमें राष्ट्र-पति जी हस्तक्षेप कर सकते हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा केन्द्रीय शासन हस्तक्षेप कर सकता है ऐसे जो कि कोग्रापरेटिव से संबंधित हैं, जो कि वैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित हैं, जो कि हमारे केन्द्र के विषय हैं, उसमें हस्तक्षेप करते हैं, कोई भी व्यवस्था या कानून हो तो उनको राष्ट्रपति से ऐक्सेंट नहीं मिलनी चाहिए । अगर आप उसको रोकेंगे किसी प्रान्त में तो भ्राप तुरन्त देखेंगे कि भ्रापकी एंडवाइस, आपके डाइरेफशंस को प्रान्तीय शासन मानेगा । मैं यह नहीं घहता कि कांग्रेसी शासन हो, या जनता पार्टी का शासन हो इन चीजों से ऊपरे उठकर ग्रापको निर्णय लेना होगा कि अगर हमारे देश में सहकारिता म्रान्दोलन को कायम रखना है, जीवित रखना है, उसको जनता के हित में उसको रुपयोगी बनाना है, उसकी उपयोगिता और भावश्यकता को महसूस करके उसको फैलाना है, उसका लाभ जनता को देना है, तो इसके लिए सच्ती से कदम उठाने होंगे । ऐक्सेंट बाला प्रश्न बहुत ही आवश्यक है और हितकर है। श्राप उसे तरन्त रोक सकते हैं।

तीसरी बात मैं ग्रापसे यह कहना चाहता हूं कि कई प्रान्तों में जहां सुपरसेशन उन्होंने

किया है संस्थाओं का या अनुचित अधिकार उनको दिये हैं, वहां डाइरेक्शन दीजिए कि श्रपने आर्डिनेंस आर ऐक्ट में जो साल भर की मियाद मकर्रर की है उसमें डेमोक्रेटिक वे में जो नियम और कानून हैं उनके अनुसार चुनाव क्यों नहीं कराते ? चुनाव कराने के लिए जोर श्राप नहीं दे सकते हैं. यदि डाइरेक्शन श्राप नहीं दे सकते हैं तो फिर केन्द्रीय शासन का जो अधिकार कंस्टीट्यूफन में रखा है भीर इतनी बड़ी राशि सहकारी समितियों के लिए, सहकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रान्तों को दी जा रही है वह बन्द करनी चाहिए । वरना श्रापको स्खेद इसे छोड देना चाहिए कि सहकारी आन्दोलन में हमारा कोई विश्वास नहीं है । इस प्रकार की भावना भापके मन से तूरन्त हटाने की जरूरत है। संविधान के अन्तर्गत जो दूसरे ग्रधिकार हैं उनके अनुसार ग्राप हस्तक्षेप कर सकत हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी ग्रीर समय-समय पर धारिया जी के जो कवन हए है उनकी हम प्रशंसा करते है, हमको खणी होती है कि आप सहकारी आन्दे लन की बिगडती स्थिति से काफी कितित हैं लेकिन कुछ करने की भी कोश्रिश की किए, वेबल ग्राख्वारन देने सं काम नहीं चलेगा। जब तक ग्राप काम नहीं करेंगे उसके श्रच्छे परिणाम नहीं आ सकते । मै यही सुक्षाव शासन के सामने रखना चाहता हं।

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman Sir,, I am very thankful to our two friends, Mr. Nathi Singh and Sawaisingh Sisodia, for raising question and presenting the whole gamut °f grievances as well as ills of co-operative movement in our country. One of the reasons advanced by the State Government for introducing nomination of officials overruling the various bodies they have for the management co-operatives, etc., through ordinances and so on, is that there is corruption in their ordinary run of

[Shri N. G. Ranga]

work and also at the time of elections. We have organised two meetings, all-India meetings,, one for cooperative credit in Madras about two years and six months ago and another for agricultural co-operative movement as a whole at Trivandrum only about eight months ago and we submitted the report of deliberations and resolutions to the Government of India as well as to the State Governments. I do not know whether my hon. friend has had an opportunity of studying those reports. I would be glad if he would study those reports and recommendations.

All these various suggestions that have been made by both our friends are very reasonable and based upon the experience of co-operatives. Sir, co-operation and nomination are in contradiction of each other. Co-operation and ordinance rule is also in contradiction of each other. Co-operation and co-operative movement can be co-operative only when all their bodies are elected and are elective. But, unfortunately,, at time of the elections to cooperatives, there is a lot of gerrymandering, lot of corruption also and mishandling of people,, of voters and election procedure itself. And there is corruption in regard to the management of their finances. How to deal with this? The earlier people who got the legislation passed for cooperatives gave too much power to the Registrars and through these Registrars and their subordinates, the local Ministers have been able to play the devil with the very career of cooperatives. We have to get over these difficulties.

We have been suggesting, Sir, the appointment of a quasi-judicial,, independent organisation, just like the Election Commission, to organise, manage and then deal with the election disputes. Then, the next suggestion is that the Commission should be fortified by accounting and 'auditing staff, whose business it

should be to deal with the management of the finances of the cooperatives. If we have such an independent organisation which would function independently of the day-to-day politics an political thinking! of changing Ministries, then we might be able to have a much better cooperative management in a democratic manner. It is very necessary to institute that kind of a Commission,, because we must ensure the democratic aspect of cooperatives.

So far as the democratic aspect of the cooperatives is concerned, our friends have already made the necessary suggestions.

cooperative movement bound to play a growing role in the social and economic life of our country and it is necessary that it should do so. That was the reason why Jwaharlal Nehru and so many of us who were cooperating with each other said to the country that we would try our best to establish in this country a cooperative Commonwealth. Unfortunately, the later administrators at the Centre as well as at the State level seem to have forgotten that pledge that we had made before the whole of the country. So many of us also have forgotten similar pledges. This was a much more important pledge and yet it came to be forgotten to such an extent that Ordinance-rule has come to be the usual order of the day ford cooperatives. At present their role is increasing by leaps and bounds. If the present Ministers could only succeed-I am not prepared to say if they are going to be sincere because I take them to be sincere in their professions in regard to the cooperative movement—in making the tribution of various commodities are needed in the day-to-day life hy the ordinary folk in our country, the role of the cooperatives is going to be nearly as important as that of the State Governments themselves. Therefore, the health—political as

on the 18th July, 1978, to Starred Question 57 regarding cooperative movement in the country." What is "cooperative moment" I do not understand. The only cooperative moment I could see was the strange cooperative moment between the right extreme and the left extreme in this House, two Members in the right extreme of the House and the right extreme of the House and the do they mean by the word "M-O-M-E-N-T" I do not know. That much about the letter that has been written here. Another point is how adversely the thin attendance here at this point of time reflects on the Members of this august House on a very important subject like this. I do not want to draw your attention to the logical and legal consequences of the num-

ber. I stop at it. Coming to the spirit, it is a very well known dictum—I quote—"Man is, the measure of things." If it applies to anything it applies most to co-operation. And in cooperation what I heard from both sides of this House is correct. Is this co-operation or is this imposition? I have been deeply involved in this co-operative movement for years and I have my own experience. This cooperative movement is a popular movement. It is a popular,, democratic movement. Even according to the Five Year Plans it is one of the unofficial popular organs that gives economic, democratic content to our country. The system contributes to a large extent to the State structure itself. That is co-operative movement. But what we now find is a very strange phenomenon. Persons without any connection with cooperation are pressed upon co-operative bodies and elected people are simply removed overnightand officialdom are pitted in their place.

That does not speak well of a Government, whether of the State or of the Centre. This has to be avoided.

After all, the co-operative ment is a cross-section of the social

well as social-of cooperative movement would be of national concern and this concern can best be displayed by finding  $way_s$  and means, including what I have myself suggested, by which we can make the cooperative movement an honest movement, a decent movement,, a progressive movement, a peoples' movement and a democratic movement. And it could be so only through elected management and non-official management,, voluntary management, and not governmental or official management. How could we ensure the success of such a movement, Sir, unless the Government and its Ministers and their political parties keep their hands off the cooperative movement? It is easy to say that,, but they would not voluntarily keep their hands off the cooperative movement which is going to be so very important for politics also and for politicians as well. So for that reason it is not enough to leave it to the profession of our politicians. should create such institutions control, to co-operate, to guide and to promote the co-opertive movement and to protect the co-operators from themselves as well as the whims of thei politicians in our country. I hope my hon'ble friend, who been put in charge of this and about whom our friend has assured us that he has himself been a co-operator would be able to give his heart and soul to this movement while he continues to be in charge of this and I assure him that he would be rendering great national service, as important a national service) as anv Chief Minister if only he would try to make this co-operative movement a healthy, wholesome and democratic movement.

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): I want to say at the very outset how shabbily and in how clumsy a manner this matter has been brought up on the Agenda. It says:

"Mr. so and so to raise a discussion on points arising out of the answer given in the Rajya Sabha 832 RS—11.

[Shri K. Madhavan1 structure of our country and this social structure should be bereft of all the evils that we inherit from the society. At least the co-operative 'movement should stand purified from the evils of the society. Every dav we are watching the chameleonic changes in politics. Political complexion is changing every day, every minute, not on the basis of any principle or om the basis of any policy. It is a change for convenience, for personal convenience. Almost every day for the last 15 months I have been hearing of the failure of the so-called 30 years. People who have been sitting together in the Government then or co-operating with the then Government in one way or another, either as Ministers or as members of the institutions which the<sub>v</sub> represented, thirty years having enjoyed whatever was the maximum possible out of it, are now coming forward and questioning the purity of the organisation which they represented till last year. It looks very strange. Can we escape the truth?

If this is the type of politics we have, naturally the type of co-operative movement we have also will be like this. Luckily, the co-operative movement starts on a higher plane, on a bette<sub>r</sub> standard than our politics, thanks to the selfless people who, not lured by the power of politics, are doing disinterested service, detatched social service in the realm of co-operation. They are the persons to Be congratulated, hot people unconnected with the movement to be seated there, ousting them. Of course, correction is required when Government funds are misappropriated or misused and certainly the Government is justified, fully justified in stepping im. Nomination by the Government is to safeguard the interests of the Government, to safeguard the money that has been advanced by the Government—either by the Government directly or through financing institutions. (Time bell rings)

Another thing is safeguarding the interests of unrepresented elements and interests. That has never been done there. On a point of explanation and I say this from personal experience. The unrepresented people, the poorest section in the social life of this country, are mever given the benefit of nomination by the Government. This is a very serious matter. I think the Government both at the Centre and hi the States will look into this matter and avoid interference from above.

Thank you, Sir.

ें भी रामलखन प्रसाद गप्त (बिहार): श्रीमन, राष्ट्रीय सहकारिता नीति प्रस्ताव जिसके 12 अनन्छेद हैं, उसको ही कार्यान्वित करने के लिये 42 प्वाइंट केन्द्रीय सरकार की भ्रोर से राज्य सरकारों को दिये गये थे भ्रौर उसके सम्बन्ध में जो सारी बातों का निर्देश किया गया था उससे यह तो साफ जाहिर है कि जनता पार्टी की सरकार हर हालत में कोग्रापरेटिव मवमेन्ट को काफी तंजी से चलाना चाहती है और वह यह भी चाहती है इसे आफिसलाइजेशन स भी दूर रखा जाये ग्रीर पोलिटिकलाइजेशन से भी दर रखा जाये वह यह भी चाहती है कि ग्रामों में यह कोग्रापरेटिय ग्रीर भी ज्यादा ग्रामे बढे श्रीर ग्रानों के जितने भी कार्य हैं वह सभी सहकारिता के अन्दर आवें और इसके अन्दर काम द्यागे बढता चला जाये । इतना ही नहीं यह भी जनता पार्टी की नीति रही है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए सरकार का रुपया कम लिया जाए । अपने आधार पर रहेतो ज्यादा ठीक होगा कि बनिस्बत कि सरकार की ग्रोर से रुपया मिले। ग्राज जो बातें म्राई हैं जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है देश के ग्रन्दर बहुत सी सहकारी संस्थाएं हैं जनका सरकारीकरण हो गया है उसका यह भी कारण रहा है कि सरकार के अपर सहकारिता म्रान्दोलन बहुत ज्यादा निर्भर रहा और निर्भर रहने के कारण सरकारी ग्रधिकारियों को सहकारिता में बहुत ज्यादा श्रधिकार दिए

गए। चाहे प्रधिकार दिए जाने का प्रश्न हो, चाहे नामीनी का प्रश्न हो, चाहे सुपरसंशन का प्रश्न हो, चाहे डाइरेक्शन का प्रश्न हो, हर जनह पर उसकी मनमानी चली। उसका कारण यह है। यह बात सही है कि सहकारिता में भ्रष्टाचार का उदाहरण भी कोई कम नहीं है। सहकारिता में भ्रष्टाचार ज्यादा है। इसलिए हर जगह सुपरसंशन होना उचित नहीं है। इसे फिसी हालत में जनता शहन दे। श्रमी भ्रष्टाचार का एक बहत बड़ा उदाहरण हमारे बिहार में सामने भ्राया । मेरे पास 24 तारीख का आरजावत है जिसमें खबर छपी है पत्रकारों को नकद-नारायण पटना-22 जुलाई-लोकतन्त्र के इतिहास में म्राज बिहार की राजधानी में एक दुखद ध्राश्चर्य से मरी घटना वह हुई जब बिहार के कोन्राप्रेटिव फेडरेशन के तथाकथित प्रेस सेल की बैठक में आज पत्नकारों के बीच रुपयों के लिफाफे बांटे गए । बैठक में उपस्थित 8 में से 5 पत्रकारों ने लिफाफों को फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मथुराप्रसाद सिंह की मेज पर फैंक दिया ग्रीर विरोध में बैठक का बहिष्कार किया । यह बांटे जाने के पूर्व श्री प्रसाद सिंह कह रहे थे कि सहकारिता के क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि सहकारी संस्थाओं में जीच के लिए जनता सरकार ने एक न्यायिक जांच आयोग का संगठन किया है। तो यह सारी बातें हैं जिनके कारण भ्रष्टाचार है। मैं यह नहीं कहता कि श्रव सरकार इन संस्थाओं को श्रपने हाथ में ले ले। इसलिए सरकार को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वहां पर चुनाव समय पर हों । चुनाव असमय होने के कारण, बहुत उथल-पृथल होने के कारण सहकारिता ग्रान्दोलन ठीक नहीं चल सकता चाहे यह बिहार हो या राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो। हर जगह चुनाव समय पर कराना ही ज्यादा उचित होगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति महोदय, हमारे साथी ने जो कुछ कहा है मैं

उसको दोहराना नहीं चाहता । उन लोगों को श्रपने राज्यों का अनुभव है और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं कि श्रगर सहकारिता में कोई दोष है तो वह 1952 सेलेकर आज तक जितने कोब्राप्रेटिव मिनिस्टर हुए उनका है। मैं नाम नहीं लूंगा। आपको भी पूरी जानकारी है-इन लोगों के बारे में जितने 6-7 मिनिस्टर 30 सालों में हुए हैं सभी करप्ट ग्रीर भ्रष्ट मिनिस्टर हुए हैं और उस राज्य में सहकारिता में जितना भ्रष्टाचार हुआ वह सहकारिता के मंत्रियों से ही निकला । जो दो-चार प्रमुख लोग हैं जिन्होंने सहकारी संस्थाओं के रुपये गवन किए हैं वे सहकारिता मंत्री के आस-पास रात दिन बैठने वाले और सहकारिता मंत्री को फाइनेंस करने वाले लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा । श्रीमन्, यह खुली हुई बात है धौर मैं ग्राज भी जो जनता सरकार के सहकारिता मंत्री हैं उनको स्पेयर नहीं करना चाहता। वे भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में पिछले 30 साल के कोग्राप्रेटिव भ्रष्ट मिनिस्टर हैं। आज का मंत्री भी उसी श्रेणी में शामिल है। श्रीमन्, धाज जो माहौल है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के कोश्राप्रेटिव एक्ट के अनुसार अगर किसी सहकारी संस्था का चुनाव समय पर न हुआ। हो और भ्रष्टाचार होतो सरकार को अधिकार है कि वहां पर बोर्ड को भंग कर के श्रिधकारी को प्रशासक इस कार्य के लिए नियुक्त करें कि वह दूसरा चुनाव करा दे श्रीर उसमें शब्द है कि तुरन्त चुनाव करा दें। चुनाव के लिए पूरा समय 15 दिन का नियुक्त है, अधिक से अधिक प्रशासक को 3 महीने लेने चाहिए लेकिन जनवरी 1975 में हजारों संस्थाओं के बोर्ड भंग किये गये यह कहकर कि समय के अन्दर चुनाव नहीं हुआ और वह प्रशासक जिसको एक महीने के अन्दर चुनाव करा देना चाहिए था आज लगभग 4 साल हो रहे हैं भ्राज तक चुनाव नहीं हुआ और वह

[श्री नागेश्वर प्रशाद शाही]

प्रशासक जो कांग्रेसी शासन में नियुक्त किये गये थे, सरकारी अधिकारी, वह आज भी कायम हैं और उनके माध्यम से सहकारिता मंत्री हर तरह का भ्रष्टाचार चलाता है। मैं दो मिनट में दो उदाहरण आपको देता है।

एक सहकारिता मंत्री ने रजिस्ट्रार के गलत ब्रार्डर जारी करा करके ब्रपने परिवार के लोगों को कई लाख रुपये कमवाये ब्रौर ब्राज वे विशेष पद पर उत्तर प्रदेश में हैं मैं नाम नहीं लूंगा उनका।

दूसरा सहकारिता मंत्री ने अपने 7-5 रिफ़्तेदारों को उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव बैंक में दो हजार ...

श्री कल्पनाथ राथ (उत्तर प्रदेश) : बनारसी दास ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: आप नाम लें पर में नहीं लूंगा।

तो दो हजार रूपये मासिक तनख्वाह पर नियुक्त कर दिया । उसका रिश्तेदार जो होमगार्ड में सिपाही था, कानपूर में पोस्टेड था जब वे मिनिस्टर बने तो उस रिष्नेदार को 2 हजार हाये मासिक तनख्वाह पर बैंक में एक नयी पोस्ट सिक्योरिटी श्राफिसर की कायम करके उस पर उसको नियुक्त करवा दिया, इल्लीगल तरीके से, बिना किसी कानून कायदे से। तो इस तौर पर मैंने जिक्र किया कि अगर सहकारिता में भ्रष्टाचार है तो इसलिए कि भ्रष्ट मंत्री उसके इंचार्च हैं और जो घुसखोर वेईमान ग्रीर चोर हैं, नाजायज पैसा कमाते हैं, अपने रिश्तेदारों को नाजायज श्रामदनी करते हैं। तो दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि मैं तो ग्रसहाय हं यह राज्य का विषय है, आप असहाय जरूर हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां आपकी हैं परन्तु आप यह कर सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक माडल कोग्रापरेटिव्ह एक्ट, रूल्स ग्राप बना सकते हैं ग्रीर राज्य सरकारों को यह निर्देश कर सकते हैं कि इस माडल एक्ट को अपने यहां इनेक्ट करो और उसके अनुसार काम करो। आप अगर यह करते तो राज्य के भ्रष्ट कोग्रापरेटिव्ह मंत्री को अपने घुसखोर अफसरों के माध्यम से रुपया कमाने का और अपने परिवारों को खणहाल बनाने का मौका नहीं मिलता । श्राप श्रपनी इयुटी में फेल होते हैं यह कहकर कि यह तो राज्य का विषय है। यह राज्य का विषय नहीं है, आज अरबों रूपया जो भारत सरकार का गरीबों के लिए, किसानों के लिए, कमजोर वर्गं के लिए डिस्ट्रीब्य्ट हो रहा है वह कोग्रापरेटिव्ह संस्थाभ्रों के माध्यम से हो रहा है ग्रीर वह सही ग्रादमी के पास नहीं पहुंच रहा है क्यांकि साधन ठीक नहीं हैं, राज्य सरकारों की व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए ग्रापकी जिम्मेदारी है कि ग्राप राज्य सरकारों को निर्देश करके अपने माडल एक्ट के द्वारा यहां पर बैंकों का फेडरेशन या कन्ज्यमर फेडरेशन पर माडल एक्ट बनायें, माडल का बाईलाज बनाये ताकि उनके माध्यम से ठीक से काम हो सके और डिस्ट्रीब्युटिंग लोनिंग आदि सारा काम ठीक हो सके । धन्यवाद ।

धी उपसमापति : ग्राप संक्षेप में बोलिये।

श्री कल्पनाथ राय: उपसभापित महोदय, मैं श्री धारिया जी जो यहां मौजूद हैं श्रीर कोश्रापरेटिव्ह की फंक्शिनंग की जो बात हो रही है पंडित जहवाहर लाल नेहरू ने नागपुर के सम्मेलन में यह कहा था कि सहकारिता ही हमारे समाजवाद की श्राधारिशला है हम सामजवादी ढांचे का समाजवाद बनाना चाहते हैं, हम समाजवाद को लाना चाहते हैं, श्रीर समाजवाद में विश्वास रखने वाले लोग पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में विश्वास करते हैं। श्रावरणीय शाही जी कोश्रापरेटिव्ह मूवमेंट में रहे हैं। जब भी किसी चीज का एक्सपेंरीमेंट किसी कन्ट्री में होता है तो उसमें गड़बढ़ियां होती हैं लेकिन बुनियादी

329

सवाल मैं यह पूछना चाहता हं क्या जनता पार्टी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में विश्वास करती है ? क्या जनता पार्टी कोग्रा-परेटिव के बुनियादी सिद्धान्तों पर विश्वास करती है ? क्या जनता पार्टी समाजवाद में विश्वास करती है ? ग्रादरणीय नत्थी सिंह जी ग्रीर ग्रादरणीय शाही जी यह दोनों हमारे पुराने समाजवाद के साथी हैं। ग्राप जब तक इन बुनियादी सवालों का ग्रपने दल में कोई कार्यक्रम नहीं बनायेंगे, कि फलां ने बोरी कर ली \*\* करोडों

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य इस प्रकार से घारोप न लगाएं।

रुग्यों का भ्रष्टाचार कर लिया।

श्री कल्प नाथ राथ: मैं उनका नाम नहीं लेता। इसको एक्सपंज कर दिया जाए। तो इस तरह की मोटी मोटी बातों से हम पर ब्रारोप लगाए। इस तरह से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता । ग्रादरणीय धारिया जी सहकारिता मंत्री हैं, सहकारिता ग्रान्दोलन इनकी उपज है। इन्होंने पब्लिक डिस्ट्ब्युशन सिस्टम पर एक बहुत बड़ा नोट सारे मैम्बरस आफ पालियामेन्ट को दिया था 1974 में जब मैं यहां मैम्बर पालियामेन्ट होकर ग्राया था । सारे देश में उस पर बहस चलाई। लेकिन धारिया जी क्या आप अपने ही जिन विचारों को आपने लिखा था 15-16 महीने से उसमें कोई भी उस दिशा में कदम उठाया है ? यदि ग्रापने एक भी कदम उठाया होता तो मैं मानता कि ग्राप ग्रपनी नीतियों के ग्रनुकुल जनता पार्टी को सही दिशा में ले जा रहे हैं। नीतियों का है .... सवाल सही rty believ

in the co-operative movement? Does it believe in socialism? Does it believe in the public distribution system? If they believe in all these fundamentals, then definitely they will have the

लेकिन बुनियादी सवालों पर जनता पार्टी का मतभेद है। रही बात उसकी व्यवस्था की, ब्राज उत्तर प्रदेश के ब्रन्दर हमारे णाही जी कोग्रापरेटिव मुवमेन्ट में रहे हैं, उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव मिल्क फेडरेशन, उत्तर प्रदेश कोग्रापरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश कोश्रापरेटिव कन्जयमर यानि 10-15 संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की जिनके पास करोड़ों रुपया है लेकिन जो उस कोग्रापरेटिव को चलाने वाले लोग हैं या जो पार्टिया हैं उनके पास पोलिटिकल बिल नहीं है । क्या कारण है कि महाराष्ट्र मे कोन्नापरेटिव आन्दोलन मजबूत हुआ है, चाहे जनता पार्टी रही या कांग्रेस पार्टी रही । गजरात में कोग्रापरेटिव मुवमेन्ट क्यों मजबूत हुआ, मद्रास में कोग्रापरेटिव मलमेन्ट क्यों मजबत हुआ और क्यों नहीं उन इलाकों में कोग्रापरेटिव मजबत हम्रा जो इलाके फण्डामैन्टली रिएक्श-नरी ताकतों के हाथ मे रहे हैं।

तो मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहता हं कि जनता पार्टी और आदरणीय धारिया जी से कि देश की बहुत बड़ी सेवा होगी यदि कोग्रापरेटिव ग्रान्दोलन को ग्राप ग्रपने मंत्रालय के माध्यम से चलाएं। मझे ग्रापकी नेकनीयती में विश्वास है, आपकी विचार-धाराश्रों से मैं सहमत हं। श्राप जो कोश्रापरेटिव मुवर्मैन्ट इस देश में चलाना चाहते हैं हम ग्रापका पूरा सहयोग करेंगे और मैं ग्रादरणीय शाही जी से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर कांग्रेस सरकार कोग्रापरेटिव मबमेन्ट को मजबत करने में असफल रही है तो उसके कारण ही आज विरोधी दल में बैठी है। लेकिन जनता पार्टी जो एक माइण्ड के साथ ग्राई है कि हिन्द्स्तान के गरीबों की भलाई करेंगे, जनता का राज्य लायेंगे, मैं इतनी ही प्रार्थना करता हं कि चाहे भ्राप यहां रहें या वहां रहें, मैं धारिया जी से विनती करता हं कि धाप

<sup>\*</sup> Expunged as ordered toy the Chair.

[श्री कल्प नाथ राय]

कोम्रापरेटिव मूबमेन्ट को पूरे देश के पैमाने पर एक इन्टैंगरेटिड डिवलपमैन्ट यदि करा सकेंगे तो देश के लाखों, करोड़ों गरीब जनता जो कोम्रापरेटिव के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है आपको धन्यवाद देगी । इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल . उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहत ग्राभारी हं कि उन्होंने सहकारिता के संबंध में जहां कुछ विशेष प्रश्नों की स्रोर ध्यान स्नाकर्षित किया वहां सिद्धांतों के सम्बन्ध में भी कई बातें कहीं हैं। सरकार की नीति के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका रहने की गुंजायश नहीं है कि वह कोग्रापरेटिव मुबमेंट को स्टेगथेन करने के लिए, इसे देश के कोने-कोने में दूर-दूर तक पहुंचाने के लिए केवल किमिटेड ही नहीं है बल्कि इसको फैलाने के लिए, यहां तक कि उन क्षेत्रों में विशेषकर जो दर के इलाके थे. ग्रंडमान ग्रीर निकोबार के इलाके थे, जहां पर सहकारिता की आज तक छाया भी नहीं गई, आज उन क्षेत्रों के अन्दर राष्ट्रीय स्तर की जो सहकारिता की संस्थाएं हैं उनके माध्यम से जो कुछ किया जा सकता है उसको करने में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रख रही है । महोदय, यह स्पष्ट है कि अगर हम देश के अन्दर सोशियो-इकानामिक रिवोल्युशन लाना चाहते हैं तो उस रिवोल्यशन को लाने के लिए हमारे पास सह-कारिता के माध्यम के ग्रलावा और कोई रास्ता नहीं है और ग्रगर हम सहकारिता को स्ट्रेगथेन करना चाहते हैं तो यह भी ठीक है कि इस के डिमोक्रेटिक सेट-अप को हमको मजबूत बन (ना होगा, इस के ग्रन्दर जो ग्राफिशियलडम है, ग्रफसरणाही है, उससे मुक्त कराना होगा। ग्राज दुर्भाग्य से जहां भी कहीं इसमें राजनीति के कारण दुर्गण ग्राए हैं, कमियां बाई हैं, उस राजनीति से इस ब्रांदो-

लन को मुक्त करना होगा। मैं इसमें श्रौर स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति से मुक्त करने की बात जब हम कहते हैं, तो इससे यह इष्टिकोण न लिया जाए कि सहकारिता में काम करने वाले जो लोग हैं वे राजनीति में रुचि न लें या इससे श्रलग न हो जाएं। इसका केवल तात्पर्य यह है कि जब हम सहकारिता के श्रांदोलन में लगे हुए हैं, सहकारिता की सेवा कर रहे हैं, वहां पर जब हम निर्णय लें तो उन निर्णयों को लेते वक्त हारा नजरिया किसी भी प्रकार राजनीति से श्रोतप्रोत नहीं होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, इन सारी बातों को समय समय पर दूहराया गया है, इन के बारे में समय समय पर रिपोर्ट लिखी गई है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा. ग्रभी दिसम्बर, 1977 के ग्रन्दर इसी ग्राधार के ऊपर एक राष्ट्रीय नीति को हमने ग्रहण किया है और उस को केवल ग्रहण ही नहीं किया बल्कि उसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए, उसको अधिक स्टेंगथेन करने के लिए 42 पौइन्ट एक्शन प्रोग्राम बनाया था ग्रीर उस हर एक के अन्दर हमने जो पौइन्ट कवर किए थे वे केवल फार्मे लिटी में पत्र-व्यवहार में नहीं रह गए बल्कि स्वयं मंत्री महोदय ने ग्रपने ही हाथ से मुख्य मंत्रियों को, सहकारिता मंत्रियों को इस संबंध में पत्न लिखे हैं, मंत्रालय स्तर पर, सचिवालय स्तर पर लिखे हैं। सचिवों ने राज्यों के अधिकारियों को पत्न लिखे हैं।

उपसमापित महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रसन्नता की बात है कि सिद्धांन्त रूप में जो कुछ निर्णय हमने लिए उन निर्णयों के आधार पर जो प्रस्ताव पास किए, समस्त राज्यों ने एक राय हो कर उन सिद्धांतों को स्वीकार किया है । उसको यहां पर नहीं छोड़ा गया, मंत्रालय स्तर पर, जो कुछ हमने प्रस्ताव किए हैं, उन पर फालो-

ग्रप ऐक्शन करने के लिए रिपोर्ट मांगी जाती हैं, और मैं ब्रापके माध्यम से इस सदन को सूचित करूं कि समस्त राज्यों से जो कुछ हमने प्रस्ताव के रूप में पारित किया है उस संबंध में इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने ग्रभी तक क्या किया, इस माह के अन्त तक वह रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो इस प्रकार हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम ग्रागे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, इस बात को स्वीकार करना होगा कि केवल सिद्धांत तय कर देने से काम नहीं चलेगा. केवल नीति निर्धारण करने से काम नहीं चलेगा। वे लोग जो सहकारिता के आंदोलन को कोई एक व्यवसाय मान कर नहीं ग्राए, इस को केवल धंधा मान कर नहीं ग्राए, बल्कि इस को एक आंदोलन मान कर आए हैं, इस की सेवा करने की दिष्ट से, एक डिवोटेड कार्यकर्ता होने के नाते, एक समपित कार्यकर्त्ता के नाते जब तक नहीं धाएंगे तब तक चाहे हम कितनी ही नीतियां, सिद्धांत तय कर लें, हम इस म्रांदोलन को मागे नहीं बढ़ा पाएंगे। श्रीर मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहुंगा बिना किसी पर कोई ग्रारोप लगाये हए कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में ग्रीर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रगर हम ध्यान दें स्थिति रड़ी हैं इस मुवमेंन्ट की वह यह थी कि उस समय यह ध्यान नहीं दिया गया कि किस क्लास को हम वास्तव में इस ग्रान्दोलन के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उन दोनों योजनाम्रों में जो किया गया, जिस बात पर सारा ध्यान लगाया गया, जिस पर सारी शक्ति लगायी गयी वह यह था कि किस प्रकार ग्राधिक विकेन्द्रीकरण के लिये ग्रपने सहकारिता आन्दोलन को हंस मजबत करें ग्रीर उस के कारण यह हमा कि कुछ ऐसे प्रभावी लोग जिन का स्वामित्व है, जिन की मोनोपोली है, ऐसे लोग इस यान्दोलन में घ्स ग्राये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उस वर्गकी ग्रोर जिस को हम उठाना चाहते हैं, ध्यान दिया गया है ग्रीर उन प्रभावी लोगों से मक्ति पान का मार्ग यही है कि जो

हमारी सहकारी संस्थायें हैं उन की मैम्बर-शिप ग्रोपेन हो। उस के लिये प्रयास किया जा रहा है। समय पर उस के चुनाब होने चाहिएं ग्रौर निष्पक्ष होने चाहिएं इस ग्रोर ध्यान दिया जा रहा है ग्रौर इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यह ग्रान्दोलन पहले के मुकाबले ग्राज ग्रिधिक शुद्ध हुग्रा है। वह गति ले कर चला है ग्रौर जिस वर्ग को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उस को पूरा लाभ मिल सके इस को हम देख रहे हैं।

Discussion

माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ बात कही है। यह जो रेजोल्यूशन भेजे हैं यह केवल पत्न ही बन कर नहीं रह गये हैं। उन्होंने इस को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश के संबंध में पिछले सत्न में काफी चर्चा हुई थी। हमारे मंत्नी महोदय ने अपने स्तरपर एक बार नहीं, दो बार नहीं, और पुराने मुख्य मंत्नी जी को नहीं, वर्तमान मुख्य मंत्नी जी को नहीं, वर्तमान पुक पत्न फिर लिखा है तो उस स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है।

श्री सवाई सिंह सिसोबिया: माननीय धारिया जी ने ग्रीर ग्राप ने इसमें काफी दिलचस्पी ली ग्रीर यहां से मुख्य मंत्री जी को पत्र भेजा कि चुनाव जल्दी कराये जायं ग्रीर उन्होंने ग्राश्वासन दिया धारिया जी को कि हम जून में चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन जून खत्म हो गया ग्रीर ग्रव तो जुलाई भी खत्म होने को ग्रा रही, चुनाव की कोई बात वहां नहीं है। यह ग्राप की ग्रीर धारिया जी की जानकारी के लिये मैं बता रहा हं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उत्तर प्रदेश के अन्दर आप को जानकर प्रसन्नता होगी कि जो प्राइमरी सोसाइटीज हैं उन सारी प्राइमरी सोसाइटीज के चुनाव हो चुके हैं और इस आधार पर ...

श्री कल्प नाय राय: नहीं हए हैं। उपसभापति महोदय, उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि जो सत्य नहीं है । मैं खुद कोग्रापरेटिव का मेम्बर हं। उत्तर प्रदेश में कोई चनाव नहीं हुए हैं। शाही जी डाइरेक्टर हैं। पुछिये उन से।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : 6 दिन पहले हो चके।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, प्राइमरी सोसाइटीज जितनी हैं वहां उन सब के चुनाव हो गये हैं उस के ग्राधार पर जो डिस्ट्क्ट सोसाइटीज हैं उन के चुनाव होंगे। यह प्रक्रिया वहां ब्रारम्भ हो गयी है । भारत सरकार की ग्रोर से, यहां के मंत्रालय की ग्रोर से बराबर प्रवास किया जा रहा है और उन प्रवासों के बाद ऐसी स्थिति नहीं दिखायी देती कि जिस के ग्राधार पर कोई उदासीनता या निराणा पैदाहो कि भारत सरकार की स्रोर से जो प्रयास किये जा रहे हैं उन की कोई प्रतिक्रिया इस मबमेंट को मजबत बनाने के लिये राज्य सरकारों पर नहीं हुई है।

ग्रभी माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में कहा है । राजस्थान सरकार द्वारा जैसी कि सूचना दी गयी है उस के आधार पर बताना चाहंगा कि हजारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उन्होंने तय किया था कि लांग टर्म ग्रौर शार्ट टर्म जो लोन्स हैं उन को डिस्टीब्यट करने के लिये जो ग्रलग-अलग एजेंसियां हैं वह अलग-अलग न होकर, उन के लिये कोई एक एजेंसी बनायी जाय ग्रौर उस के माध्यम से ही लांग टमंग्रौर णार्ट टर्म लोन्स दिये जायं, इस को उन्होंने मान लिया और इस के आधार पर रिजर्व बैंक भ्राफ इंडिया ने प्रत्येक राज्य सरकार को उस रिपोर्ट के ग्राधार पर ग्रागामी कदम उठाने को कहा है। तो उस आधार पर

राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने यह तय किया है कि यह जो दोनों एजेंसियां ग्रलग-श्रलग हैं वह ग्रलग-ग्रलग नहीं रहेंगी ग्रीर केवल एक एजेंसी के माध्यम से ही ऋण का वितरण किया जायगा ग्रौर इस ब्राधार पर उन्होंने मैनेजमेंट्स को सुपरसीड किया है

श्री नत्थी सिंह : एक बात में अर्ज करना चाहता हं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : केन्द्रीय शासन की हजारी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नत्थी सिंह : राजस्थान के बारे में श्राप ने जो कहा, हजारी कमेटी की रिपोर्ट के म्राधार पर वह यह कह रहे हैं, यह बिल्कुल गलत बात है । हजारी कमेटी ने जब स्टेटस को विजिट किया तो वहां की गवर्नमेंट ने, तत्कालीन गवर्नमेंट ने मिल कर उस का विरोध किया व चुने हुये सहकारी प्रति-निधियों ने कहा कि दीर्घकालीन व ग्रल्प-कालीन सहकारी संस्थाओं के मर्जर से हमारी समस्यायें बढ़ जावेंगी।

जो केडिट का मवमेंट है वह चेक-अप हो जाएगा। यह फैसला हम्रा है। जनता सरकार बनने के बाद केन्द्र में यह प्रश्न उठाया गया तो तो यह कहा कि यह सारा मामला फिलहाल स्थिति कर दिया जाता है। उसके बाद बैंक्स सुपरसीड करे दिये गये संस्थायें सुपरसोड कर दी गर्ड इसिएए कि चने हुए लोग वहां नहीं ग्रायें। कई बार यह फैसला हो गया है कि इसमें केवल अफसरों का या रिजस्टार का प्रबन्ध कर देना चाहिए ग्रौर नान-म्राफिशियल को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। ग्रगर स्टक्चर में कोई चेंज करना चाहते हैं तो एक फैसला हो गया, उसको रिकेंसिडर करना चाहते हैं तो पहले चुनाव हों फिर उनकी राय जानी जाए, उसको ग्रफसरों के स्राधार पर न 337

किया जाए। वहां यह भी हो भया है कि इनको मिला दो फिर सब को ग्रपैक्स बैंक की ब्रांच कर दो। इतनी बडी स्टब्स्वरल चेंज करना चाहो श्रीर भ्रोर नान-भ्राफिणियल को बात करने का मौका नहीं देश चाहते तो यह कौन सा तरीका है ? इसलिए यह प्रोसेस बैंक डोर से की जा रही है यह बड़ी गलत बात है। सीधे चनाव कराये जायें। झनझन बैंक 10 साल से सुपरसीड है कानुनन दो साल से ज्यादा सुपरसीड नहीं रह सकता लेकिन उस ग्रोर कोई ध्यान नहीं देता । तो मै कहना चाहता हूं कि यह प्रथा बड़ी गलत है। ग्रगर स्टुक्चरल चेंज करना चाहते हैं तो पूरा विचार करिये । लेकिन जो लोग मुवर्मेट में हित रखते हैं उनकी भी राय जाननी चाहिए । डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजि-स्ट्रार से जो कुछ भी लिखवादो उससे परपज सर्व नहीं होगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: उप सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के सम्बन्ध में जो श्रन्य जानकारी दी है मैं उन्हें विश्वास दिलाता हं कि मैं इस सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी दी गई उसके खाधार पर मैंने सूचना दी है ग्रौर ज्यादा जानकारी इसप्रकार की दी है कि यह जोगतिविधि है एकदम किस प्रकार बढ़ी, क्या कारण रहे, में राजस्थान सरकार से सारी सचना प्राप्त करूंगा और देख्ंगा कि जो डेमोकेटिक सैट श्रप हम सहकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं उसमें किसी प्रकारकी यांचन आये। हम यह कोशिश करेंगे। लेकिन माननीय सदस्य से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हं कि जिस प्रकार से हम सदन के ग्रन्दर इलेक्टेड मैम्बर हैं उसी आधार पर अपने विवाद के द्वारा, वहस के द्वारा एक निर्णय लेकर निर्णय देते हैं। हर स्टेट के अन्दर वहां पर इलेक्टेड बाडीज हैं। श्रगर वह ऐसेम्बलीज किसी प्रश्न पर डिस्कस करके, एक एक क्लाज में विचार करके अगर कोई निर्णय लेते हैं. उसके म्राधार पर कुछ तय किया जाता है तो हमें विचार करना पड़ेगा कि उस अधार पर हम क्या कर सकते हैं। जैसा

माननीय सदस्य ने भी कहा हम उस स्थिति में राष्ट्रपति को कह सकते हैं कि वह कन्सेंट रोक लें। मैं बहत ही नम्प्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हं कि राष्ट्रपति का जो प्रश्न ग्रायेगा केवल उस स्तर ५२ ग्रायेगा जब हमारा कोई सेंट्रल ऐक्ट का प्राविजन ग्रहेक्ट होता हो। उस सीमा के भ्रन्दर हम को विचार करना पढ़ेगा।

दूसरा यह सुझाव है कि भारत सरकार के पास असीम अधिकार है। भारत सरकार के माध्यम से कोग्रापरेटिय भूवमेंट के लिए प्रत्येव स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर उनकी एजेंसाज के लिए पैसा भिन्न मिश्र कायों के लिए जाता है। लेकिन मै माननीय सदस्यों से नम्प्रतापूर्वक निवेदन करना चाहंगा कि इस प्रश्न पर वह फिर गम्भारता से सीचें कि कहां हम कोग्राप-रेटिव मुवमेंट के अन्दर एक हेमोकेटिक सैट ग्रंप को लागू करने की बात करते हैं ग्रौर हम इस बात को कहना चाहते है कि सिद्धान्त रूप में हमने डेमोक्रेटिक सैट श्रप को स्वीकार किया है तो क्या ऐसी स्थिति के अन्दर चाहे भारत सरकार के पास कितने बड़े ग्रिधकार हों, हम यह उचित समझेंगे कि हन अधिनायक रूप से डिक्टेटोरियल ऐटीट्युड लेकर क्या इस प्रकार से राज्य सरकारों के मामलों के अन्बर दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप करें ? कोग्रापरेटिव सब्जैक्ट ऐक्सक्ल्सिजली स्टेट सब्जैक्ट है। भारत सरकार श्रपनी नीति निर्धारण करती है। उसके आधार पर ही यह एक प्रस्तान स्वीकार किया गया पालिसी के रूप में ग्रीर इसे भेजा गया और जिसके ऊपर हम चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य के अन्दर कार्यान्वयन किया जाए।

(Interruptions)

श्री कल्प नाथ राय: भारत सरकार की क्या नीति है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूं। जो आपने स्पैसिफिकली डठाया है मैं उसी पर श्रा रहा हं।

GMPIPMRND-RS I-832 RS-26-9-7 8-570.

श्री उपसमापति : ब्नियादी बात उठाइये ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: मेरी हिम्मत नहीं है कि बनियादी सवाल को मैं अवाएड कर जाऊं।

माननीय सदस्य ने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन के सम्बन्ध में बात कही है। पब्लिक डिस्ट्री-ब्यशन सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि माननीय मन्त्री बहुत समय से इस प्रश्न पर बार-बार कह रहे हैं। मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहंगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सम्बन्ध में जो पत्न है उस पत्न को केबिनेट में भेजने के लिये अन्तिम रूप दे दिया गया है ग्रीर वह पत्न केबिनेट में जा रहा है। उसमें किसी प्रकार की द्विधा नहीं है। दसरी बात यह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यशन सिस्टम के बारे में मिनिस्टरी ने कोई नीति तय की है या नहीं तो मैं बताना चाहता हं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है एसने सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है कि हमें वितरण प्रणाली को सुदढ बनाने के लिये भरसक कोशिश करनी चाहिये। राष्ट्रीय परिषद् ने भी स्वीकार किया है। यह केवल नारा बन कर या स्लोगन बन कर नहीं रह गया है।

श्री कल्प नाथ राय: मन्त्री महोदय ने कहा है कि . . . (Interruptions)

श्री उपसमापति : माननीय सदस्य मन्त्री महोदय को बोलने दें।

श्री कल्प नाथ राय: मन्त्री महोदय ने कहा है.

श्री उपसभापति : इसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री कल्प नाथ राथ: रिकार्ड क्यों नहीं किया जाए ?

श्री उपसमापति : योंकि ग्राप बोले जा रहे हैं ?

340

श्री कृष्ण कुमार गोयल . जो प्रश्न माननीय सदस्य ने जठाये हैं कि सहकारिता श्रान्दोलन मजबत बने, सुदृढ़ बने श्रीर इसका रूप लोकतन्त्र पर ब्राधारित हो तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हं कि भारत सरकार इन प्रक्तों पर, इसको गति देने में, मजबत बनाने में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखेगी । यह मैं श्रापको विश्वास दिलाना चाहता हं।

## RE. PLACING OF CORRESPOND-ENCE BETWEEN THE FORMER HOME MINISTER AND THE PRIME MINISTER BEFORE THE HOUSE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have an announcement to make before we adjourn.

Hon. Members may recall that the Chairman had informed the House on the 24th July, 1978 that he would try to find out some solution in regard to the demand for tabling of the correspondence that took place between Minister and the former the Prime Home Minister, Shri Charan Singh. The matter is still under discussion between the Chairman and the Leader of the House, Leader of the Opposition as well as leaders of other parties and groups in the House. The Chairman would announce the result of his discussion in the matter some time tomorrow.

The House stands adjourned meet tomorrow at 11 A.M.'

> The Hou3e then adjourned at eight minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 27th July, 1978.